झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
सिविल रिट याचिका संख्या 3928/2016

मदन मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय यदुनाथ सिंह, निवासी करौंदी, डाकघर व थाना गुमला, जिला-गुमला

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. उपायुक्त, गुमला।
3. भूमि अर्जन पदाधिकारी, गुमला, डाकघर एवं थाना गुमला, जिला-गुमला.
4. पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार अपने मुख्य अभियंता, झारखंड राष्ट्रीय राजमार्ग विंग, इंजीनियर हॉस्टल, एच.ई.सी. के माध्यम से। धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, जिला-राँची।
5. कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमंडल, गुमला, डाकघर एवं थाना गुमला, जिला-गुमला.

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से : श्री प्रवीण अखौरी, एससी (माइन्स)।
श्री शरभिल अहमद, एसी टू एससी (माइन्स)।
सुश्री स्वीटी टोपनो, अधिवक्ता
श्री अमृत आर. किस्कू, अधिवक्ता

प्रस्तुत
माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रतिवादियों विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 पर उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है ताकि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को एनएच 23 और एनएच 78 को जोड़ने के लिए गुमला बाईपास फोर लेन रोड का निर्माण करने से रोका जा सके, जो कि याचिकाकर्ता के गांव फसिया, खाता संख्या 118, प्लॉट संख्या 1751 और 1736 की रैयती जमीन पर है, जहां प्रतिवादी संख्या 5 याचिकाकर्ता से सहमति प्राप्त किए बिना या कानूनी रूप से भूमि अधिग्रहण किए बिना एनएच 23 और एनएच 78 को जोड़ने के लिए गुमला बाईपास फोर लेन सड़क का निर्माण कर रहा है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि उक्त प्रार्थना निष्फल हो गई है क्योंकि उक्त सड़क का निर्माण पहले ही हो चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता अपनी प्रार्थना में संशोधन करता है क्योंकि याचिकाकर्ता की उक्त भूमि पर बिना कोई मुआवजा दिए गुमला बाईपास फोर लेन सड़क का निर्माण कर लिया गया है, इसलिए प्रतिवादियों को कानून के अनुसार पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश दिया जाए और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 को

आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए तैयार और इच्छुक है और प्रतिवादी संख्या 3 को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर कानून के अनुसार उस पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।

5. उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस छूट के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता अपने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए मुआवजे का दावा करने के लिए एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष ऐसा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार उस पर विचार करे और ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से चार महीने के भीतर एक स्पष्ट आदेश द्वारा उसका निपटारा करे।

6. इस रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 04 अप्रैल, 2024
एएफआर/अनिमेष

यह अनुवाद ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।